

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड  
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 105/2011  
संस्थित दिनांक-23.03.2010

यशवंत पुत्र मंगलप्रसाद निवासी किला रोड  
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

---पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

वि रु द्ध

शासन द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी  
उदलसिंह दत्तक पुत्र रामप्रसाद निवासी  
ग्राम भौनपुरा परगना गोहद

.....प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक

-----  
न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला-भिण्ड के  
न्यायालय के परिवाद प्रकरण क्रमांक 427/08 इ0फौ0 उदलसिंह  
बनाम यशवंत पटवारी में पारित आदेश दिनांक 08.03.2010 से  
उत्पन्न दाण्डिक पुनरीक्षण अंतर्गत

-----  
निगरानीकर्ता द्वारा श्री राकेशचन्द्र गुप्ता अधि0 ।  
प्रत्यर्थी द्वारा श्री भगवानसिंह बघेल ए0जी0पी0 ।  
-----

### **-:- निर्णय -:-**

(आज दिनांक दिसंबर 2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से उक्त दाण्डिक अपील धारा-374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री मनीष शर्मा द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 427/08 निर्णय दिनांक-08.03.2012 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा- 167 भा0दं0सं0 के अपराध में 01 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि परिवारी उदलसिंह मौजा भौनपुरा वृत्त एण्डोरी तहसील गोहद जिला भिण्ड के सर्वे क्रमांक-2546 का इन्द्राजित भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी है। तथा यह भी निर्विवादित है कि संवत् 2057 के खसरे में गलत इन्दाज कुंए का हुआ था जो अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के आदेश से निरस्त किया जा चुका है। यह भी निर्विवादित है कि उक्त हल्के पर आरोपी/अपीलार्थी पटवारी होकर लोक सेवक के रूप में पदस्थ रहा है जिसने वर्ष 2003 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिये पद से इस्तीफा दिया था उसके पूर्व मानसिंह पटवारी रहा है।
3. परिवार पत्र के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि भूमि सर्वे क्रमांक-2546 रकवा 0.32 का परिवारी उदलसिंह भूमिस्वामी होकर आधिपत्यधारी है जो ग्राम भौनपुरा में स्थित है। वर्ष 2002 में आरोपी यशवंत ग्राम भौनपुरा का पटवारी होकर लोकसेवक के नाते काम कर रहा था। आरोपी यशवंत ने बिना किसी आदेश या अधिकार के परिवारी को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से संवत् 2057 के खसरा के कॉलम नंबर-14 में ट्यूबवैल काबिल हुकुमसिंह पुत्र मातादीन का नाम गलत रूप से अंकित कर दिया। जबकि ऐसा करने का आरोपी को कोई अधिकार नहीं था। ऐसा आरोपी के द्वारा जान-बूझकर परिवारी उदल को क्षति पहुंचाने के लिये किया गया। दिनांक 27.08.2003 को इसकी नकल लेने पर इस बात की परिवारी को जानकारी हुई। तब परिवारी ने आरोपी/अपीलार्थी से पूछा तो आरोपी/अपीलार्थी ने कहा कि उसने जो लिख दिया सो लिख दिया तुम्हें जो करना है कर लो। जिसके संबंध में थाना एण्डोरी में परिवारी ने लिखित रिपोर्ट भी पेश की परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब परिवारी के द्वारा यह परिवार पत्र न्यायालय में पेश किया गया। तथा परिवारी एवं उसके साक्षियों के कथनों के आधार पर धारा 167 भा0द0वि0 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया।
4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिवारपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-167 भा0दं0सं0 के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया। विचारणोपरांत अपीलार्थी/आरोपी को धारा-167 भा.द.वि. के अपराध में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह दांडिक अपील प्रस्तुत की गयी है।

5. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि पुलिस रिपोर्ट अथवा कोई दस्तावेज अभियोजन प्रदर्शित एवं प्रमाणित नहीं होने के बावजूद भी साक्ष्य विधान के प्रतिकूल निर्णय पारित किया गया है। संवत् 1957 में आरोपी/अपीलार्थी ग्राम भौनपुरा कापटवारी नहीं था। तथा जब वह पटवारी ही नहीं था तो खसरे में किसी भी प्रकार की प्रविष्टि किये जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तथा परिवादी की ओर से संवत् 2057, 2058 का खसरा भी प्रस्तुत कर प्रमाणित नहीं किया गया है तथा उक्त खसरे को तलब किये जाने पर उसकी प्रविष्टि की किसी हस्तलेख विशेषज्ञ से कोई जांच भी नहीं कराई गई है। तथा परिवादी एवं परिवादी के साक्षीगण के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। मूल खसरा आरोपी/अपीलार्थी के पजेशन में नहीं है। आरोपी/अपीलार्थी को बचाव साक्ष्य का पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। तथा चार्ज लेने देने की स्थिति पर भी साक्षियों के कथनों में काफी विरोधाभास है। अभियोजन साक्षीगण के कथनों में परस्पर विरोधाभास आये हैं, किन्तु उक्त विरोधाभासों को नजर अंदाज करते हुए आलोच्य आदेश पारित करने में गंभीर भूल की गयी है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उपरोक्त कारणों से परिवाद पत्र की कहानी शंकास्पद हो जाती है और महत्वपूर्ण व सुसंगत विरोधाभास पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और विधि, कानून के सुस्थापित सिद्धांतों को अनदेखा करते हुए निर्णय पारित किया है, इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त की जावे और अपीलार्थी/आरोपी को दोषमुक्त किया जावे एवं उनका अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे। जिसका विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा कड़ा विरोध किया गया है कि आरोपी/अपीलार्थी द्वारा शासकीय दस्तावेजों में बिना किसी अधिकार व आदेश के गलत इन्द्राज किया गया है अतः उसे उदारतापूर्वक नहीं छोड़ा जा सकता है और अपील सारहीन होने से निरस्त की जावे और अपीलार्थी/आरोपी को उचित दण्डाज्ञा से दण्डित किया जावे।

6. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

- 1- “क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?”

- 2— क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

7. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया । आलोच्य निर्णय का अवलोकन किया । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर एवं अपील ज्ञापन में उठाये गये बिन्दु और लिये गये आधारों पर चिन्तन व मनन किया गया ।
8. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थीगण को धारा-167 भा0द0वि0 के तहत दोषसिद्ध ठहराते हुए दण्डित किया है और अभियोजन पूर्व स्वीकृति के संबंध में तर्कों में बिन्दु उठाया गया है किन्तु धारा-167 द0प्र0सं0 के तहत अपील ज्ञापन में आधार नहीं लिया गया है तथा मूल अभिलेख के अवलोकन से इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.11.2009 को आदेश पारित कर निराकरण किया था जिसके विरुद्ध कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई इसलिये अभियोजन पूर्व स्वीकृति का बिन्दु अपील स्तर पर विचार योग्य नहीं है।
9. विधिक रूप से धारा-167 भा0द0वि0 के अपराध के प्रमाण हेतु जो आवश्यक संघटक हैं उनके मुताबिक यह साबित होना चाहिए कि अभियुक्त एक लोक सेवक था और उसके द्वारा लोक सेवक के नाते किसी दस्तावेज की रचना या अनुवाद करने का भार वहन किया था तथा उसने उक्त दस्तावेज की अशुद्धता से रचना की थी या अनुवाद किया था और ऐसा करने में उसका आशय किसी व्यक्ति को क्षति करना था अथवा उसने ऐसा यह संभाव्य जानते हुए किया था कि जिसके द्वारा वह ऐसा अशुद्ध दस्तावेज रचना कर या अनुवाद करके किसी व्यक्ति को क्षति करेगा। हस्तगत मामले में परिवादी की ओर से किये गये मूल परिवाद में आरोपी/अपीलार्थी पर यही आक्षेप किया गया है कि उसने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के उसे क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से संवत् 2057 के खसरा के कॉलम नंबर-14 में हुकुमसिंह पुत्र मातादीन जाति ठाकुर निवासी ग्राम भौनपुरा का गलत इन्दाज ट्यूबवैल का कर दिया जिसे आरोपी/अपीलार्थी ने इन्कार किया है इसलिये मूलतः इस बिन्दु पर ही आगे विचार करना होगा।
10. धारा-167 भा0द0वि0 के उपबंध के मुताबिक जो कोई

लोक सेवक होते हुए ओर ऐसे लोक सेवक के नाते (किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना या अनुवाद करने का भार वहन करते हुए उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना तैयार या अनुवाद) ऐसे प्रकार से जिसे वह जानता हो या विश्वास करता हो कि अशुद्ध है, इस आशय से या संभाव्य जानते हुए करेगा कि तदद्वारा वह किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा। उक्त धारा का सिद्धान्त लोक अभिलेखों की पवित्रता तथा पराधिकारिता इस अवधारणा पर आधारित है कि वे सत्य हैं तथा सत्य अभिलेख का चित्रण करते हैं तथा उन्हें लोक सेवकों ने सत्यता और ईमानदारी से तैयार किया है। धारा-167 उस विनिर्दिष्ट स्थिति में लागू हो जाती है जब कोई लोक सेवक किसी भी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिये किसी दस्तावेज को अशुद्ध रूप से तैयार करता है और पदीय कर्तव्य का दुरुपयोग करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिये ऐसा करता है। इसलिये हस्तगत मामले में यह देखना होगा कि क्या आरोपी/अपीलार्थी के द्वारा खसरे में अशुद्ध प्रविष्टि परिवादी को क्षति पहुंचाने या किसी अन्य को कोई लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई।

11. अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह भी आक्षेप किया है कि परिवादी के परिवाद पर धारा-200 एवं 202 द0प्र0सं0 के अंतर्गत जो कथन लिये गये थे उससे ही कोई आरोप नहीं बनता था जिसका ए0जी0पी0 ने अपने तर्कों में विरोध किया है। अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के अवलोकन से धारा-200 द0प्र0सं0 के तहत परिवादी उदलसिंह के जांच कथन एवं धारा-202 द0प्र0सं0 के अंतर्गत मानसिंह जो कि पूर्व पटवारी स्वीकृत तौर पर रहा है, उसके जांच कथन के आधार पर अपराध में संज्ञान लिया गया था और आरोप पूर्व साक्ष्य में भी उदलसिंह व मानसिंह के कथनों में तथ्य आये। तथा आरोपी/अपीलार्थी की ओर से आरोप पूर्व साक्ष्य में दिये गये उनके कथनों का कोई खण्डन न करते हुए आरोप पश्चात प्रतिपरीक्षा का हक सुरक्षित रखना व्यक्त किया था जिसका कि कथनों पर नोट भी अंकित है। ऐसे में इस स्तर पर उक्त आशय की आपत्ति विधिक नहीं मानी जा सकती है। और विचाराधीन आरोपी के विरुद्ध कोई दाण्डिक पुनरीक्षण भी आरोपी/अपीलार्थी की ओरसे नहीं किया गया है। इसलिये गुण-दोषों पर ही देखना होगा कि जिस अपराध के लिये आरोपी/अपीलार्थी को दोषसिद्ध

कर दण्डित किया गया है, क्या वह विधिक रूप से पुष्टि योग्य है अथवा नहीं?

12. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के अवलोकन से परिवादी उदलसिंह के आ0सा0-1 के रूप में दिये गये कथन में यह स्पष्ट व्यक्त किया गया है कि आरोपी यशवंत पटवारी को वह जानता है जो उनके गांव के हल्के का पटवारी रहा है और उसकी भूमि भौनपुरा मौजे में है जिसका सर्वे नंबर-2546 रकवा 01 बीघा 12 विस्वा का वह भूमिस्वामी होकर आधिपत्यधारी है और उसमें यशवंत पटवारी ने उसके इसी खेत पर हुकुमसिंह पुत्र मातादीन बिना हैसियत के नाम लिख दिया है और कुंआ दर्ज कर दिया है जिस इन्द्राज से उसे नुकसान हुआ है जिसके संबंध में उसने पुलिस में भी रिपोर्ट की थी और पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने पर परिवाद किया है।
13. परिवादी ने प्रतिपरीक्षा में यह भी स्पष्ट किया है कि यशवंत पटवारी के पहले उनके गांव में मानसिंह नरवरिया पटवारी था। और मानसिंह के तुरंत बाद यशवंत पटवारी पदस्थ हुआ था और उसने पटवारी से खसरे की नकल ली थी, कब ली थी यह ध्यान नहीं है। जब यशवंत पटवारी से उसने खसरे की नकल ली थी तो उसमें यह नहीं देखा था कि पटवारी ने क्या लिखा था। जब वह खेत पर गया तो हुकुमसिंह ने उसे बताया था कि पटवारी से उसने अपने नाम का कब्जा लिखवा लिया है और खेत जोतने से मना किया था जिसकी उसने थाने पर रिपोर्ट की थी। किस संवत की नकल यशवंत पटवारी से ली यह उसे ध्यान नहीं है। यह स्वीकार किया है कि पटवारी से नकल लेते हैं तब जो रिपोर्ट में लिखा होता है उसकी भी नकल पटवारी देता है। उसने संवत 2057 के पहले की कोई नकल ली थी या नहीं, यह उसे ध्यान नहीं है और पटवारी को खसरे में लिखते हुए उसने नहीं देखा था। उसे इस बात की जानकारी है कि खसरे में यह यदि गलत लिखा हो तो तहसीलदार के यहाँ कार्यवाही करनी चाहिए।
14. परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अन्य साक्षी धर्मसिंह आ0सा0-3 जो कि ग्राम भौनपुरा का ही निवासी है, उसने भी परिवादी का खेत देखना बताते हुए आरोपी यशवंत पटवारी को जानना बताया है और यह कहा है कि यशवंत पटवारी उनके यहाँ पदस्थ रहा है जिसने पूरे गांव के खेतों को अस्त-व्यस्त कर दिया है। किसी के नाम कुछ कर दिया है और किसी के नाम किसी

का खेत कर दिया है। उसने भी यह अवश्य स्वीकार किया है कि पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेखों में कोई लीपा-पोती अथवा किसी प्रकार की लिखा-पढी करते हुए उसने कभी नहीं देखा है और राजस्व अभिलेखों में लिखापढी पहले हुई हो तो भी उसे पता नहीं है।

15. अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि परिवादी और साक्षी धर्मसिंह ने आरोपी/अपीलार्थी को पटवारी की हैसियत से कोई इन्द्राज करते हुए नहीं देखा है। तथा जो संवत 2057 के खसरे में गलत प्रविष्टि बताई गई है उसकी हस्तलेख विशेषज्ञ से कोई जांच नहीं कराई है इसलिये यह सिद्ध नहीं है कि वह आरोपी/अपीलार्थी के द्वारा ही की गई थी, न ही मूल खसरा पेश किया गया है इसलिये अपराध नहीं बनता है जिसका भी विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा विरोध किया गया है कि ऐसा आधार अपीलार्थी द्वारा स्वयं सिद्ध करना चाहिए था जो कि नहीं किया गया है।
16. जहाँ तक हस्तलेख विशेषज्ञ से परिवादी द्वारा प्रविष्टि की जांच कराये जाने का बिन्दु उठाया गया है, परिवादी की स्पष्ट और विश्वसनीय साक्ष्य अशुद्ध इन्द्राज बाबत अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है और आरोपी/अपीलार्थी जिस पूर्व पटवारी मानसिंह के बाद हलका पटवारी पदस्थ हुआ उसने भी यह स्पष्ट साक्ष्य दी है कि उसके कार्यकाल में कोई प्रविष्टि नहीं थी। ऐसे में प्रमाण भार आरोपी/अपीलार्थी पर था कि जिस प्रविष्टि के आधार पर उसने परिवादी को खसरे की नकल संवत 2057 की दी वह मूल प्रविष्टि उसके द्वारा नहीं की गई थी। ऐसे में हस्तलेख विशेषज्ञ की जांच परिवादी द्वारा न कराये जाने का कोई दुष्प्रभाव अभियोगी पर नहीं माना जा सकता है। और ऐसा भार लेने वाला आरोपी/अपीलार्थी ही उसे अपनी साक्ष्य से स्थापित कर सकता था जो उसने नहीं किया।
17. मूल अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि संवत 2057 के खसरे की जो प्रति तत्कालीन पटवारी अर्थात् आरोपी/अपीलार्थी यशवंत पटवारी द्वारा परिवादी को दी गई थी, वह अभिलेख पर मौजूद है और जिसका न्यायिक नोटिस भी लिया जा सकता है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने आलोच्य निर्णय में रेखांकित किया है जिस आरोपी/अपीलार्थी यशवंत पटवारी हल्का नंबर-10 वृत्त एण्डोरी तहसील गोहद जिला भिण्ड के नाम, पदनाम की मुद्रा व हस्ताक्षर हैं

जिससे आरोपी/अपीलार्थी ने इन्कार नहीं किया है। न ही आरोपी/अपीलार्थी द्वारा कोई बचाव साक्ष्य इस आशय की पेश की गई कि उसने उक्त संवत् 2056 लगायत 2059 के खसरा पंचशाला की जो नकल परिवादी को दी वह कौनसे अभिलेख से तैयार की और मूल अभिलेख में प्रविष्टि जो कॉलम नंबर-14 की है, वह पहले से थी या उसके द्वारा की गई या किसी अन्य के द्वारा की गई। इस संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय की कण्डिका-9 में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है जिसे विधि विरुद्ध नहीं ठहराया जा सकता है।

18. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में गलत प्रविष्टि के संबंध में परिवादी उदल सिंह द्वारा की गई द्वितीय अपील माल क्रमांक-167/2005-2006 के आदेश दिनांक 29.06.2006 की नकल संलग्न है और सक्षम न्यायालय के आदेश की नकल है जिसका न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है क्योंकि न्यायालयों के अभिलेख का न्यायिक नोटिस लेने का स्पष्ट प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-57 में दिया गया है। अपर आयुक्त चंबल संभाग के आदेश में यह स्पष्ट निष्कर्षित किया गया है कि पटवारी को किसी अन्य का कब्जा दर्ज करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है न ही तहसीलदार को बिना जांच के अधिकार है। और अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार व एस0डी0ओ0 के आदेशों को निरस्त करते हुए यहाँ तक निष्कर्ष निकाला कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसे अवैध व अनियमित आदेश पारित किये गये हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। अर्थात् अपर आयुक्त द्वारा खसरे की प्रविष्टि को अवैध माना है।

19. जहाँ तक यह प्रश्न है कि आरोपी/अपीलार्थी को पटवारी की हैसियत से इन्द्राज करते हुए किसी ने नहीं देखा तो इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि कोई भी पदीय हैसियत से कार्य करते समय ऐसे कोई नियम नहीं हैं कि इन्द्राज करते समय किसी साक्षी की उपस्थिति आवश्यक हो। इसलिये परिवादी उदलसिंह और साक्षी धर्मसिंह के द्वारा आरोपी को इन्द्राज करते हुए न देखे जाने से कोई लाभ आरोपी/अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हो सकता है क्योंकि यह तथ्य निर्विवादित है कि जो खसरा प्रविष्टि के इन्द्राज की परिवादी को आरोपी/अपीलार्थी से नकल लेने पर जानकारी हुई वह आरोपी/अपीलार्थी द्वारा ही उसे तैयार करके दी गई थी। ऐसे में यह सिद्धि भार कि गलत प्रविष्टि



आरोपी/अपीलार्थी ने नहीं की, बल्कि पहले से व किसी अन्य के द्वारा की गई, इसका प्रमाण भार आरोपी/अपीलार्थी पर चला जाता है। जैसा कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय की कण्डिका-10 में भी निष्कर्षित करते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-105 का अविलंब लिया है जिसमें यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी विशिष्ट तथ्य की जानकारी किसी पक्ष को है तो उसे प्रमाणित करने का भार उस पर आ जाता है, इसलिये वह प्रविष्टि किसी अन्य के द्वारा की गई, यह प्रमाण भार आरोपी/अपीलार्थी पर हस्तगत मामले में था जिसे उसने वहन नहीं किया है। और आरोपी/अपीलार्थी को इस बिन्दु का भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है कि जो गलत इन्द्राज हुआ वह आगे निरंतर नहीं रहा क्योंकि अपर आयुक्त चंबल संभाग के विधिक आदेश से उसे निरस्त किया गया है। ऐसे में निरंतर न रहने से अपराध समाप्त नहीं हो जाता है।

20. प्रकरण में सर्वाधिक महत्व का साक्षी परिवादी के अलावा पूर्व पटवारी रहा मानसिंह आ0सा0-2 है, उसने अपनी अभिसाक्ष्य में यह स्पष्ट बताया है कि वह भौनपुरा मौजे पर दिनांक 26.03.1992 से 13.02.2002 तक पटवारी पदस्थ रहा है और उसके कार्यकाल में खसरे के कॉलम नंबर-12 में कोई इन्द्राज नहीं था और उसके बाद हलके पर जसवंत पटवारी पदस्थ हुआ था। उसने पैरा-2 में यह अवश्य स्वीकार किया है कि जब उसने हलका छोड़ा था तब आर0आई0 को चार्ज दिया था, जसवंत पटवारी को चार्ज नहीं दिया था। और वह नहीं बता सकता कि जसवंत पटवारी ने किस व्यक्ति से चार्ज लिया था तथा उसके द्वारा हलका छोड़ने के पश्चात किन किन व्यक्तियों के हाथ में चार्ज रहा और उसके हलका छोड़ने के पश्चात यदि कोई प्रविष्टि हुई हो तो उसे जानकारी नहीं है। इस साक्षी की अभिसाक्ष्य से यह तो स्पष्ट है कि मानसिंह के पश्चात आरोपी/अपीलार्थी ही पटवारी हलका पदस्थ हुआ।

21. जहाँ तक चार्ज के आदान-प्रदान का प्रश्न है, वह आर0आई0 को चार्ज देना कहता है लेकिन बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी से सुझाव देकर यह स्थिति स्पष्ट नहीं कराई है कि किस आर0आई0 को चार्ज दिया गया था ताकि उसे आहूत किया जा सकता था। न ही बचाव पक्ष की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि आरोपी/अपीलार्थी ने भौनपुरा का चार्ज किससे प्राप्त किया।

22. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यह भी बताया गया है कि उन्होंने विचारण न्यायालय में इस आशय की प्रार्थना की थी कि चार्ज से संबंधित अभिलेख तलब किया जाये जिसे अस्वीकार कर दिया गया और सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया लेकिन सूचना के अधिकार के तहत भी जानकारी रिकॉर्ड गुम होने से प्राप्त नहीं हुई। इससंबंध में अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 03.12.2009 पर ध्यान आकर्षित कराया है जिसका अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आरोपी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि वह पूर्व में पटवारी रहा और उसके चार्ज से संबंधित रिकॉर्ड गुम हो गया है। परन्तु वह परशुराम कुशवाह के पास रिकॉर्ड उपलब्ध होना बताता है। इस बाबत सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर प्रस्तुत करने का अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश किया था। उक्त प्रार्थना बचाव के स्तर पर की गई थी। ऐसे में आरोपी/अपीलार्थी स्वयं के स्तर पर परशुराम कुशवाह को साक्ष्य में पेश कर सकता था जो उसने नहीं किया। ऐसे में इस बिन्दु का कोई लाभ आरोपी/अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हो सकता है। तथा यह तर्क भी किया है कि कोई सीमांकन नहीं कराया गया कि कुंआ हुकुमसिंह की जमीन में था या नहीं। एक ओर तो आरोपी/अपीलार्थी गलत इन्द्राज से इन्कार करता है और दूसरी ओर सीमांकन की बात करता है। धारा-167 भा0द0वि0 के अपराध के लिये केवल इतना देखा जाना आवश्यक है कि यदि गलत इन्द्राज किसी व्यक्ति को नुकसान करने के आशय से किया गया है या नहीं और जहाँ परिवादी की मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट होता है वहीं संवत् 2057 की खसरा प्रविष्टि गलत रूप से होने की पुष्टि अपर आयुक्त चंबल संभाग के आदेश से भी स्थापित होती है इसलिये बचाव पक्ष का यह तर्क कि पटवारी ने मूल अभिलेख के आधार पर खसरा की नकल तैयार की, ऐसा कतई नहीं माना जा सकता है।

23. परिवादी उदलसिंह की आरोपी/अपीलार्थी यशवंत पटवारी से कोई पूर्व की बुराई या भलाई या रंजिश का बिन्दु भी स्थापित नहीं होता है इसलिये ऐसा भी नहीं माना जा सकता है कि उसे परिवादी ने किसी रंजिश के चलते अभियोजित किया बल्कि परिवादी का यह कहना कि जब वह खेत जोतने गया और हुकुमसिंह द्वारा उसे खेत जोतने से रोक दिया तथा गलत प्रविष्टि की जानकारी दी और जब पटवारी से नकल ली तो पटवारी द्वारा यह कहा जाना कि उसने जो लिख दिया जो सो लिख दिया, तुम्हें जो करना है सो करो। इससे आरोपी/अपीलार्थी की

आपराधिक मनःस्थिति (mensria) अशुद्ध प्रविष्टि को लेकर स्पष्ट होती है।

24. आरोपी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में मद्रास उच्च न्यायालय से निराकृत किमिनल अपील क्रमांक-1033 से 1048/02 जी-नागराजन एवं के-श्रीनिवासन विरुद्ध स्टेट ऑफ डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस विजिलेन्स एण्ड एन्टी करप्शन स्पेशल सेल सलेम आदि की इन्टरनेट से प्राप्त प्रति पेश की है। जिसमें आरोपी/अपीलार्थीगण पर वन भूमि पर प्लान्टेशन के संबंध में भ्रष्टाचार एवं दस्तावेजों की कूट रचना संबंधी आक्षेप करते हुए धारा-167 सहपठित धारा-109, 420, 467, 471, 477 ए, 409, 120 बी भा0द0वि0 के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 की धारा-5 (2) सहपठित धारा-5(1)(सी) एवं 5 (1) डी से संबंधित आक्षेप थे जो इस प्रकरण की विषय वस्तु से भिन्नता रखते हैं। इस मामले में खसरा प्रविष्टि मात्र का आक्षेप है इसलिये उक्त प्रस्तुत निर्णय को हस्तगत मामले में तथ्यों की भिन्नता के कारण लागू नहीं किया जा सकता है।
25. इस प्रकार उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी को पटवारी के रूप में लोक सेवक रहते हुए खसरा प्रविष्टि अशुद्ध रूप से यह जानते हुए या विश्वास रखते हुए कि वह अशुद्ध है और इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि उससे परिवादी को क्षति पहुंचेगी, अंकित की गई है। भले ही बाद में विधिक आदेश से स्थिर नहीं रही हो। ऐसे में आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध धारा-167 भा0द0वि0 के आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। और धारा-167 भा0द0वि0 में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे दोषसिद्ध ठहराये जाने में कोई विधिक त्रुटि या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की गई है। फलतः दोषसिद्धि के बिन्दु पर प्रस्तुत दाण्डिक अपील सारहीन मानते हुए निरस्त की जाती है।
26. जहाँ तक दण्डाज्ञा का प्रश्न है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपराध के लिये एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है जिसके संबंध में आरोपी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपी/अपीलार्थी द्वारा स्वयं पद से इस्तीफा भी वर्ष 2003 में दिया जा चुका है। वह विधि का छात्र रहा है तथा प्रथम अपराधी

है इसलिये उसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया दण्डादेश अत्यधिक कठोर है और केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर उसे छोड़ दिया जावे जिसका भी ए0जी0पी0 ने कड़ा विरोध किया।

27. दण्डाज्ञा के बिन्दु पर विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। मूल मामला वर्ष 2003 का है। आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है किन्तु जैसा कि तर्क किया गया है कि आरोपी/अपीलार्थी ने वर्ष 2003 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिये पटवारी के पद से इस्तीफा दे दिया था, जो विधि का छात्र भी रहा है तथा धारा-167 भा0द0वि0 का मूल सिद्धान्त लोक दस्तावेजों की पवित्रता का है और आम तौर पर पटवारियों के द्वारा अशुद्ध प्रविष्टियों के कारण जहाँ एक ओर विधिक मामलों में बढ़ोतरी होती है वहीं दूसरी ओर अशुद्ध प्रविष्टि के कारण गंभीर घटनाएँ तक घटित हो जाती हैं। ऐसे अपराधों के प्रति न्यायालय का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि वह ऐसे मामलों में प्रतीकारात्मक कठोर दण्ड दे ताकि इससे लोगों को सबक मिल सके तथा ऐसे मामलों में उदारता उचित नहीं है। भले ही लोक सेवक कितना ही विनम्र क्यों न रहा हो। ऐसे मामलों में उदारता बरते जाने की दशा में लोक अभिलेखों और लोक सेवकों के प्रति आम जनता में अविश्वास पैदा होता है और न्याय प्रशासन की दृष्टि से भी उचित दण्ड अपेक्षित है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी स्थिति में दिया गया दण्डादेश कतई अनुचित या अत्यधिक कठोर श्रेणी का नहीं माना जा सकता है क्योंकि धारा-167 भा0द0वि0 के अपराध में तीन वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया दण्डादेश पूर्णतः पुष्टियोग्य होकर यथावत रखने योग्य है।
28. फलतः दण्डाज्ञा के बिन्दु पर भी आरोपी/अपीलार्थी की अपील निरस्त की जाती है। और दण्डादेश को यथावत रखा जाता है।
29. आरोपी/अपीलार्थी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर उसे दण्डादेश भुगताये जाने हेतु विधिवत जेल भेजा जावे।
30. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

31. प्रकरण में निराकरण योग्य कोई संपत्ति नहीं है।
32. निर्णय की प्रति आरोपी/अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान की जावे।
33. निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो।

दिनांक: दिसंबर-2014

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड